

प्ररूप 4

(नियम 26)

नामांकन पत्र

सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् का नाम _____

वार्ड संख्या (पंच तथा सदस्य की दशा में) _____

उम्मीदवार का नाम _____

पिता अथवा पति का नाम _____

आयु _____

व्यवसाय _____

पता _____

जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति / पिछड़े वर्ग का सदस्य है तो वह विशेष जाति जिससे सम्बन्धित है

क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या ।

“उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं सरपंच/पंच /सदस्य, पंचायत समिति/सदस्य, जिला परिषद् के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ /हो गई हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ/रखती हूँ।

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो:

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :-

- (i) जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या
- (ii) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा

(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा

(घ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत

समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं से निर्मुक्त न कर दिया गया हो ; अथवा

- (ड.) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा
- (च) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ;
- (छ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है ;
- (ज) किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है ; या
- (झ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात्, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ;
- (ञ) सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या
- (ट) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा
- (ठ) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा
- (ड) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिघृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिघृति के किराये के बकाया है ; या
- (ढ) निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या
- (ण) सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा
- (त) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप-प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पत्ति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ;
- (थ) आलोपित ;
- (द) इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरुद्ध दावा मान लेता है;
- (ध) नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है :

परन्तु खण्ड (द) तथा (ध) के अधीन ऐसी निर्रहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी

व्याख्या 1 :- कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :-

- (क) किसी सयुक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अंश या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित्त नियोजित किया जायेगा ; अथवा
- (ख) किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा
- (ग) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा
- (घ) एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा
- (ङ) अचल सम्पत्ति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पत्ति के वि क्रय या क्र म में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या कय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है, अथवा
- (च) किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा-कदा किये जाने वाले विक्रय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।

व्याख्या 2 :- कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड (i) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।

तिथि _____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

..... }

उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य है

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ जाति का/की सदस्य हूँ जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित की गई है ।

तिथि :-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना)

सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

कम संख्या _____ यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय _____ में (तिथि तथा समय) _____ सुपुर्द किया गया है ।

तिथि :- _____

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

जांच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये मैं _____ नामांकन पत्र स्वीकार करता हूँ _____ मैंने इस नामांकन पत्र की जांच की है और इसे निम्नलिखित कारणों से रद्द करता हूँ ।

तिथि

नामांकन पत्र की जांच करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक _____ है ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
